कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश
पारदर्शी किसान सेवा योजना
"किसान का अधिकार किसान के द्वार"

किसान और मजदूर भाई अपना पंजीकरण करायें और कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठायें

किसानों और मजदूरों को पंजीकरण कराना आवश्यक क्यों है ?

शासनादेश संख्या- 811/12-3-2014-100(61)/2012 द्वारा पारदर्शी लाभार्थी चयन प्रक्रिया निर्धारित करते हुए , कृषि विभाग की योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है ।

- पंजीकरण अनिवार्य होने से लाभार्थी चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी ।
- लाभार्थी का चयन उसके पंजीकरण के क्रम में ही किया जायेगा एवं शासन की नीति के अनुसार कमजोर किसानों को लाभ वितरण में वरीयता दी जाएगी ।
- अपने लाभार्थी की पहचान करते हुए कृषकों के महत्वपूर्ण डाटा बेस का सृजन होगा ।
- पंजीकरण अनिवार्य होने से बार - बार कुछ विशेष किसानों और मजदूरों को ही लाभ प्रदान करने की प्रथा पर रोक लगेगी नियंत्रण
- लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सकेगी ।
- कृषि विभाग की योजनाओं में किसको क्या लाभ दिया गया इसका विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा ।
- पंजीकृत कृषकों और मजदूरों को सरकार की योजनाओं की जानकारी उनके मोबाइल पर समय समय पर मिलती रहेगी ।
- एक बार पंजीकरण हो जाने के उपरान्त अपना पंजीकरण नंबर बताकर अनुमन्य लाभ की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी ।
- पंजीकृत किसानों और मजदूरों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभागीय रणनीति बनायी जा सकेगी ।

पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णतयः निशुल्क है

तकनीक से लैस व्यवस्था, अब हम भी अपनाएंगे , अपना जीवन सुखी बनाकर, प्रदेश समृद्ध बनायेंगे

परिवर्तन का शंखनाद है, सरकार की बड़ी तैयारी है ।

गाँव बढेगा प्रदेश बढेगा, किसानों की भागीदारी है ।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश
पारदर्शी किसान सेवा योजना
''किसान का अधिकार किसान के द्वार''

किसान और मजदूर भाई अपना पंजीकरण करायें और कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठायें

पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण कराने के लिए निम्न ३ दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाना जरूरी है, जिससे खतौनी संख्या, पहचान पत्र संख्या और खाता संख्या की पुष्टि एवं विवरण अंकित हो सके -

- लाभार्थी की पहचान हेतु - वोटर कार्ड/आधार कार्ड/राशन कार्ड/पासपोर्ट में से कोई **एक**
- भूमि की पहचान हेतु - खतौनी (मजदूरी के लिए नहीं चाहिये)
- लाभ सीधे खाते में पहुंचाने के लिए - बैंक पास बुक का पहला पन्ना जिसपर लाभार्थी का विवरण हो

पंजीकरण कराने का तरीका

किसान और मजदूर भाई अपना पंजीकरण निम्न में से किसी भी तरीके से करा सकते हैं -

१. योजना के टोल फ्री नंबर 1800 - 200 - 1050 पर मिस्ड कॉल करके - **(मिस्ड कॉल करते समय ऊपर लिखे तीनों कागज अपने साथ अवश्य रखें, जिससे खतौनी संख्या, पहचान पत्र संख्या और खाता संख्या का विवरण अंकित हो सके)**

- **किसान और मजदूर भाई योजना के टोल फ्री नंबर 1800 - 200 - 1050 पर मिस्ड कॉल करें । यह सुविधा निशुल्क है । मोबाइल में जीरो बैलेंस पर भी मिस कॉल की सुविधा है ।**
- **आपकी मिस्ड कॉल प्राप्त होने के उपरान्त कृषि विभाग के पंजीकरण केंद्र द्वारा आपके नंबर पर फ़ोन किया जायेगा और आपसे सम्बंधित जानकारी एकत्र की जाएँगी । आपसे यह जानकारी भी ली जाएगी की आप किस लाभ हेतु पंजीकरण कराना चाहते हैं ।**
- **आपकी सभी जानकारी लेने के बाद आपका पंजीकरण कर लिया जाएगा और आपके मोबाइल पर पंजीकरण नंबर स्वतः भेज दिया जायेगा ।**
- **मोबाइल पर पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरान्त किसान और मजदूर भाई ऊपर लिखे तीनों कागजों की फोटोकॉपी अपने नजदीकी राजकीय बीज केंद्र अथवा जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में 7 दिन के अन्दर जमा करा दें । तीनों कागजों पर अपनी पंजीकरण संख्या लिखना न भूलें ।**

२. किसान पंजीकरण केंद्र पर जाकर -

- किसान और मजदूर भाई किसान पंजीकरण केंद्र पर जाकर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं ।
- किसान पंजीकरण केंद्र पर आपसे सम्बंधित जानकारी एकत्र की जाएँगी। आपसे यह जानकारी भी ली जाएगी की आप किस लाभ हेतु पंजीकरण कराना चाहते हैं।
- आपकी सभी जानकारी लेने के बाद आपका पंजीकरण कर लिया जाएगा और आपके मोबाइल पर पंजीकरण नंबर स्वतः भेज दिया जायेगा ।
- किसान और मजदूर भाई ऊपर लिखे तीनों कागजों की फोटोकॉपी अपने साथ अवश्य लायें ।
- पंजीकरण के बाद अपनी पंजीकरण रसीद लेना न भूलें ।

३. कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करके -

- किसान और मजदूर भाई कृषि विभाग की वेबसाइट पर स्वयं या ई - सुविधा केंद्र आदि पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।
- आपकी सभी जानकारी ऑनलाइन भरने के पश्चात आपका पंजीकरण कर लिया जाएगा और आपके मोबाइल पर पंजीकरण नंबर स्वतः भेज दिया जायेगा ।
- मोबाइल पर पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरान्त किसान और मजदूर भाई ऊपर लिखे तीनों कागजों की फोटोकॉपी अपने नजदीकी राजकीय बीज केंद्र अथवा जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय में 7 दिन के अन्दर जमा करा दें । तीनों कागजों पर अपनी पंजीकरण संख्या लिखना न भूलें ।

पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णतयः निशुल्क है

तकनीक से लैस व्यवस्था, अब हम भी अपनाएंगे , अपना जीवन सुखी बनाकर प्रदेश समृद्ध बनायेंगे

संकल्प बड़ा बदलाव बड़ा, अब साथ साथ विश्वास बड़ा ।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

पारदर्शी किसान सेवा योजना

“किसान का अधिकार किसान के द्वार”

किसान और मजदूर भाई अपना पंजीकरण करायें और कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठायें

पंजीकरण के उपरान्त वितरण प्रक्रिया

- जिन किसानों का शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत चयन होगा , उन किसानों के मोबाइल पर लाभ वितरण हेतु सन्देश भेजा जायेगा ।
- सन्देश प्राप्ति के पश्चात, चयनित कृषक को निर्धारित अवधि के अन्दर लाभ वितरण केंद्र पर पहुंचकर अपना फोटो और मशीन पर अंगूठा निशान अंकित कराकर लाभ मिल जायेगा ।
- लाभार्थी कृषक को कृषि विभाग द्वारा रसीद दी जाएगी और साथ ही मोबाइल पर सन्देश भी भेजा जायेगा कि कृषक को क्या और कितना लाभ दिया गया है ।
- लाभार्थियों का विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.nic.in पर आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा ।

नई सुविधा नई तकनीक लिए, द्वार पर अब सरकार खडी । बदली है दिशा, बदलेगी दशा , पारदर्शी योजना अब बनी कड़ी ।

योजना एवं पंजीकरण की विस्तृत जानकारी हेतु जनपदीय उप कृषि निदेशक कार्यालय या नजदीकी किसान पंजीकरण केंद्र पर संपर्क करें .